"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 239] रायपुर, मंगलवार, दिनांक 20 जून 2017— ज्येष्ठ 30, शक 1939

खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 8 जून 2017

अधिसूचना

क्रमांक एफ 1–39/खाद्य/2009/29–1. — उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 (क्र0 68 सन् 1986) की धारा 30 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, छत्तीसगढ़ राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग तथा जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष फोरम (भर्ती एवं सेवा शर्ते) नियम, 2010 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात :–

संशोधन

उक्त नियमो में,–
नियम 19 का लोप किया जाये

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार
मनोज कुमार सोनी, विशेष सचिव.

Naya Raipur, the 8th June 2017

NOTIFICATION

No. F-1-39/2009/Food/29-1. — In exercise of the powers conferrred by Section 30 of the Consumer Portection Act, 1986 (No. 68 of 1986), the State Government, hereby, makes the following further amendment in the District Consumer Disputes Redressal Forum (Recruitment and Service Conditions) Rules, 2010, Namely :-

AMENDMENT

In the said rules,-
The rule 19 shall be omitted.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
MANOJ KUMAR SONI, Speciel Secretary.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2017.